कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्याः एम0ई0–3 / 2023

लखनऊःदिनांकः–15 सितम्बर, 2023

नीट एम0डी0एस0 बैच 2019 एवं नीट एम0डी0एस0 बैच 2020 के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अर्न्तगत इन–पर्सन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना एवं दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950 / 71–2–82 / 2017 दिनांक 07 मार्च 2018 तथा शासनादेश संख्या– I / 342805 / 2023 दिनांक 04 जुलाई 2023 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट एम0डी0एस0 बैच 2019 एवं नीट एम0डी0एस0 बैच 2020 के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अर्न्तगत इन–पर्सन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश निम्नवत हैः–

क्र0सं0	विशिष्ठता	दिनांक	समय	रैंक
01	नीट एम0डी0एस0 बैच 2019	25.09.2023	पूर्वान्ह 11:00 बजे से	समस्त अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थी।
02	नीट एम0डी0एस0 बैच 2020	26.09.2023	पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक	संलग्न सूची के कमांक 01 से 22 तक।
03	नीट एम0डी0एस0 बैच 2020	26.09.2023	अपरान्ह 03 बजे से	संलग्न सूची के कमांक 23 से 45 तक।

- काउंसिलिंग के समय सीट मैट्रिक्स प्रदर्शित की जायेगी।
- सीटों का आवंटन रिक्त सीटों के सापेक्ष सम्बन्धित बैच की ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार पर किया जायेगा। सीनियर बैच (2019 बैच) को आवंटन में वरीयता प्रदान की जायेगी।
- आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 से बाहर के निवासी है, उन्हे अनारक्षित माना जाएगा।
- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को देय होगा। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
- 2019 बैच के सेवायोजित अभ्यर्थी जो अपनी वर्तमान सीट में परिवर्तन करने के इच्छुक हो, केवल वही काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करें, 2019 बैच के अन्य अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नही है ।
- 2019 बैच के काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने पिछले वर्ष के सीनियर रेजीडेन्सी के आवंटन पत्र एवं सम्बन्धित कालेज द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में आवंटन की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा।
- पुनरावंटित अभ्यर्थियों को नई सीट आवंटित होने पर योगदान देना अनिवार्य होगा। नई सीट को आवंटन होने पर पूर्व में आंवटित सीट पर अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा।
- 2019 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य पद हेतु प्रतिभाग करना चाहता है, उन्हे 01 वर्ष का सीनियर रेजीडेन्ट का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नही किया जाएगा। सहायक आचार्य पद पर आवंटन की कार्यवाही रिक्त सीट उपलब्ध होने की दशा में ही की जायेगी।
- नीट एम0डी0एस0 2020 बैच के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अपना नीट एम0डी0एस0 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड जिसमें, उनकी ऑल इंडिया रैंक उल्लिखित हो, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग केवल रिक्त सीटें उपलब्ध रहने तक ही सम्पादित की जायेगी।
- **काउंसिलिंग सभाकक्ष, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0 में सम्पन्न करायी जायेगी।**
- अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट http://www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

संलग्नक–नीट एम0डी0एस0 2020 बैच के अभ्यर्थियों की सूची।

(किंजल सिंह)

महानिदेशक।

GENERAL File 2023

संख्या: एम0ई0–3 / 2023 /2264 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–चार।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथियों में महानिदेशालय के सभाकक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।
5. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 / यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई / निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ / डा0 मनोहर लोहिया, लखनऊ / प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल / डेन्टल / स्वशासी कालेजों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को नोटिस बोर्ड एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
6. कार्यकारी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें।
7. नाजिर, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को इस आशय से प्रेषित कि आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें।
8. शिविर सहायक, महनिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।